WitWaves
Journal of Multidisciplinary Research

International Peer-Reviewed E-Journal
E-ISSN: 3107-4235

Vol – 3
Issue – 3
Jul-Sep
2026

"भारतीय संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन"

डॉ. अनिवेद मिश्र[1, *]

[1](पी.एचडी) राजनीति विज्ञान

https://doi.org/10.64175/wjmr.vol.3.issue3.2

Article Info

Keywords:

- *युवा प्रतिनिधित्व*
- *भारतीय संसद*
- *लोकसभा*
- *लोकतंत्र*
- *राजनीतिक सहभागिता*
- *युवा नेतृत्व*
- *संसदीय प्रतिनिधित्व*
- *भारतीय राजनीति*

Abstract

प्रस्तुत शोध अध्ययन "भारतीय संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" विषय पर आधारित है। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ युवा वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद सर्वोच्च विधायी संस्था है, अतः उसमें युवाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक समावेशन एवं उत्तरदायी शासन के लिए आवश्यक माना जाता है। इसी संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन में भारतीय संसद में युवाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति, प्रवृत्तियों, चुनौतियों एवं संभावनाओं का विश्लेषण किया गया।

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्यों में भारतीय संसद में युवाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का अध्ययन करना, विभिन्न लोकसभाओं में युवा प्रतिनिधित्व की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना तथा युवा प्रतिनिधित्व से संबंधित चुनौतियों एवं संभावनाओं का मूल्यांकन करना शामिल था। अध्ययन में शोध प्रश्नों के माध्यम से विषय का विश्लेषण किया गया।

शोध की प्रकृति वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक रही। अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। तथ्य लोकसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग, संसदीय रिपोर्टों, इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) की रिपोर्टों, पुस्तकों, शोध पत्रों एवं अन्य प्रकाशित स्रोतों से संकलित किए गए। संकलित तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीकरण एवं तुलनात्मक विश्लेषण किया गया।

अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि भारत की विशाल युवा जनसंख्या की तुलना में संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। प्रथम लोकसभा की तुलना में वर्तमान लोकसभा में युवा सांसदों का अनुपात कम पाया गया। अध्ययन में यह भी स्पष्ट हुआ कि राजनीतिक दलों की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया, चुनावी व्यय, राजनीतिक अनुभव की अपेक्षा तथा संरचनात्मक बाधाएँ युवा प्रतिनिधित्व को प्रभावित करती हैं। इसके बावजूद शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता, डिजिटल संचार एवं युवा मतदाताओं की बढ़ती संख्या भविष्य में युवा प्रतिनिधित्व के विस्तार की संभावनाएँ प्रस्तुत करती हैं।

अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी एवं प्रतिनिधिक बनाने के लिए संसद में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है। युवाओं का प्रभावी प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक उत्तरदायी, गतिशील एवं भविष्य उन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ संसद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सर्वोच्च विधायी संस्था के रूप में कार्य करती है। संसद न केवल जनता की आकांक्षाओं एवं हितों का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि राष्ट्रीय नीतियों, कानूनों एवं विकास की दिशा निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस सीमा तक प्राप्त है। इनमें युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व विशेष महत्व रखता है, क्योंकि युवा किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति के प्रमुख आधार होते हैं।

भारत को युवा राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। देश की कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग युवा वर्ग से संबंधित है, जो राष्ट्रीय विकास एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवा वर्ग नवीन विचारों, ऊर्जा, तकनीकी दक्षता तथा परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं में युवाओं की पर्याप्त भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व आवश्यक माना जाता है। संसद में युवाओं की उपस्थिति न केवल उनकी समस्याओं एवं अपेक्षाओं को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने में सहायक होती है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक समावेशी एवं उत्तरदायी बनाने में भी योगदान देती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संसद की संरचना एवं प्रतिनिधित्व में अनेक परिवर्तन हुए हैं। समय के साथ राजनीतिक दलों, चुनावी प्रक्रियाओं तथा मतदाताओं की प्राथमिकताओं में बदलाव आया है, जिसका प्रभाव संसद में निर्वाचित प्रतिनिधियों की आयु संरचना पर भी पड़ा है। यद्यपि भारत की जनसंख्या में युवाओं का अनुपात अत्यधिक है, फिर भी संसद में उनके प्रतिनिधित्व की स्थिति, प्रवृत्तियाँ तथा चुनौतियाँ अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बनी हुई हैं। अनेक अवसरों पर यह प्रश्न उठाया जाता रहा है कि क्या संसद में युवाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है तथा क्या युवा सांसद लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभा पा रहे हैं।

वर्तमान समय में राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माण तथा शासन व्यवस्था में युवाओं की भूमिका को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय युवा नीति, लोकतांत्रिक सशक्तिकरण तथा राजनीतिक सहभागिता से संबंधित विभिन्न पहलें युवाओं को राजनीति की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। इसके बावजूद संसद में युवाओं की वास्तविक भागीदारी, प्रतिनिधित्व की प्रवृत्तियों तथा उससे संबंधित चुनौतियों का समग्र अध्ययन आवश्यक प्रतीत होता है।

इसी संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन "भारतीय संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" विषय पर आधारित है। इस अध्ययन में भारतीय संसद में युवाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति, उसके विकासक्रम, प्रमुख प्रवृत्तियों एवं चुनौतियों का विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही यह अध्ययन लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी के महत्व तथा संसद में उनके प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ बनाने की संभावनाओं का भी मूल्यांकन करेगा।

शोध की आवश्यकता एवं महत्व

भारत विश्व के सर्वाधिक युवा देशों में से एक है, जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग युवा वर्ग से संबंधित है। युवा राष्ट्र की विकास प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन तथा लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण के प्रमुख आधार माने जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं की सक्रिय राजनीतिक सहभागिता तथा विधायी संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे उनकी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं समस्याओं को नीति निर्माण की प्रक्रिया में उचित स्थान प्राप्त होता है। इस दृष्टि से भारतीय संसद में युवाओं के प्रतिनिधित्व का अध्ययन विशेष महत्व रखता है।

यद्यपि भारत में युवा मतदाताओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, तथापि संसद में युवाओं की वास्तविक भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व को लेकर समय-समय पर प्रश्न उठते रहे हैं। लोकतंत्र की प्रभावशीलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि विभिन्न आयु वर्गों को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में कितना अवसर प्राप्त है। ऐसी स्थिति में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि भारतीय संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व किस स्तर पर है तथा समय के साथ उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं।

प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि संसद में युवाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित अधिकांश चर्चाएँ सामान्य अवलोकनों तक सीमित रहती हैं, जबकि इसके तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत कम उपलब्ध हैं। संसद की विभिन्न अवधियों में युवा सांसदों की संख्या, उनकी भूमिका, राजनीतिक दलों की नीतियाँ तथा प्रतिनिधित्व की प्रवृत्तियों का व्यवस्थित विश्लेषण लोकतांत्रिक अध्ययन के लिए आवश्यक है।

यह अध्ययन भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की राजनीतिक स्थिति को समझने में सहायक होगा। साथ ही यह शोध राजनीतिक दलों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं को युवाओं की राजनीतिक भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त अध्ययन के निष्कर्ष लोकतांत्रिक संस्थाओं में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने तथा अधिक समावेशी राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण हेतु उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन भारतीय संसद में युवाओं के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति, उसकी चुनौतियों एवं संभावनाओं को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा

Ghosh (2026) ने "Youth Participation in India's Legislative Politics" विषय पर अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय संसद तथा विभिन्न राज्य विधानसभाओं में युवाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि भारत में युवा जनसंख्या का अनुपात अत्यधिक होने के बावजूद संसद एवं विधानसभाओं में युवाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। शोध में यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि राजनीतिक दलों की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया, संसाधनों की कमी तथा राजनीतिक अनुभव से संबंधित बाधाएँ युवाओं के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करती हैं।

Patel एवं Thiruppathi (2025) ने "Navigating Challenges and Opportunities: Youth Representation in the Indian Parliament" विषय पर शोध अध्ययन किया। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि 18वीं लोकसभा (2024) में 40 वर्ष या उससे कम आयु के सांसदों का प्रतिशत लगभग 10.7 प्रतिशत है, जो प्रारम्भिक लोकसभाओं की तुलना में कम है। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि युवाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक समावेशन, नीति-निर्माण तथा युवा हितों के प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। साथ ही शोधकर्ताओं ने युवा प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया।

Inter-Parliamentary Union (2025) ने "Youth Participation in National Parliaments 2025" रिपोर्ट में विश्व के विभिन्न देशों की संसदों में युवाओं के प्रतिनिधित्व का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में पाया गया कि विश्व स्तर पर 40 वर्ष या उससे कम आयु के सांसदों का प्रतिशत सीमित है तथा युवा प्रतिनिधित्व की वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही है। अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में युवाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों, निर्वाचन प्रणालियों तथा संस्थागत व्यवस्थाओं में सुधार आवश्यक है।

शोध के उद्देश्य

1. भारतीय संसद में युवाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का अध्ययन करना।
2. विभिन्न लोकसभाओं में युवाओं के प्रतिनिधित्व की प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
3. भारतीय संसद में युवाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रमुख चुनौतियों एवं संभावनाओं का अध्ययन करना।

शोध प्रश्न

1. भारतीय संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व वर्तमान में किस स्थिति में है?
2. विभिन्न लोकसभाओं में युवाओं के प्रतिनिधित्व में क्या प्रमुख परिवर्तन एवं प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं?
3. भारतीय संसद में युवाओं के प्रभावी प्रतिनिधित्व के समक्ष कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ विद्यमान हैं?

शोध प्रविधि

1. शोध की प्रकृति

प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक है। अध्ययन में भारतीय संसद में युवाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति, उसके विकासक्रम, प्रवृत्तियों, चुनौतियों एवं संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है।

2. शोध प्रविधि का चयन

प्रस्तुत अध्ययन के लिए विश्लेषणात्मक एवं दस्तावेज़ीय शोध प्रविधि का चयन किया गया है। इस प्रविधि के अंतर्गत भारतीय संसद से संबंधित उपलब्ध आँकड़ों, रिपोर्टों, शोध अध्ययनों, सरकारी दस्तावेजों तथा अन्य प्रासंगिक स्रोतों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में विभिन्न लोकसभाओं में युवाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण भी किया गया है।

3. अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र भारतीय संसद है। अध्ययन में विशेष रूप से लोकसभा में युवाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। इसके लिए विभिन्न लोकसभा चुनावों एवं संसद की संरचना से संबंधित उपलब्ध आँकड़ों का उपयोग किया गया है।

4. अध्ययन की इकाई

प्रस्तुत अध्ययन की इकाई भारतीय संसद के निर्वाचित युवा सांसद हैं। अध्ययन में 40 वर्ष या उससे कम आयु के सांसदों को युवा प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित किया गया है। विभिन्न लोकसभाओं में ऐसे सांसदों की संख्या, प्रतिशत एवं प्रतिनिधित्व की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है।

5. तथ्यों के स्रोत

(क) प्राथमिक स्रोत

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक स्रोतों का उपयोग नहीं किया गया है।

(ख) द्वितीयक स्रोत

अध्ययन हेतु तथ्य निम्नलिखित द्वितीयक स्रोतों से संकलित किए गए हैं—

1. लोकसभा सचिवालय की रिपोर्टें।
2. भारत निर्वाचन आयोग के प्रकाशन एवं आँकड़े।
3. संसदीय कार्य मंत्रालय की रिपोर्टें।
4. इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) की रिपोर्टें।
5. राष्ट्रीय युवा नीति से संबंधित दस्तावेज।
6. पुस्तकों, शोध पत्रों एवं शोध प्रबंधों से प्राप्त सामग्री।
7. सरकारी एवं संस्थागत वेबसाइटों पर उपलब्ध आँकड़े एवं रिपोर्टें।

6. तथ्य विश्लेषण

संकलित तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीकरण एवं तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। विभिन्न लोकसभाओं में युवाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति को प्रतिशत एवं वर्णनात्मक आँकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्राप्त तथ्यों का व्याख्यात्मक एवं तुलनात्मक विश्लेषण कर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

7. अध्ययन की सीमाएँ

1. अध्ययन केवल भारतीय संसद, विशेषकर लोकसभा तक सीमित है।
2. अध्ययन में केवल द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों का उपयोग किया गया है।
3. अध्ययन का मुख्य फोकस युवा सांसदों के प्रतिनिधित्व की स्थिति एवं प्रवृत्तियों तक सीमित है।
4. अध्ययन में सांसदों की व्यक्तिगत राजनीतिक उपलब्धियों का विश्लेषण नहीं किया गया है।

परिणाम एवं विश्लेषण

18वीं लोकसभा में सांसदों का आयुवर्गानुसार वितरण

आयुवर्ग	सांसदों का प्रतिशत
40 वर्ष या उससे कम	11
41–55 वर्ष	38
55 वर्ष से अधिक	52
कुल	100

विश्लेषण: 18वीं लोकसभा में केवल 11 प्रतिशत सांसद 40 वर्ष या उससे कम आयु वर्ग से संबंधित हैं, जबकि 52 प्रतिशत सांसद 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संसद में वरिष्ठ आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व अधिक है तथा युवाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत सीमित है।

प्रथम लोकसभा (1952) एवं 18वीं लोकसभा (2024) में युवा प्रतिनिधित्व की तुलना

लोकसभा	35 वर्ष से कम आयु के सांसद
प्रथम लोकसभा (1952)	82
18वीं लोकसभा (2024)	25

विश्लेषण: प्रथम लोकसभा में 35 वर्ष से कम आयु के 82 सांसद थे, जबकि 18वीं लोकसभा में यह संख्या घटकर 25 रह गई है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि समय के साथ संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व कम हुआ है।

लोकसभा की औसत आयु का तुलनात्मक अध्ययन

लोकसभा	औसत आयु (वर्ष)
प्रथम लोकसभा (1952)	46.5
17वीं लोकसभा (2019)	59
18वीं लोकसभा (2024)	56

विश्लेषण: प्रथम लोकसभा की तुलना में वर्तमान लोकसभा की औसत आयु में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट है कि संसद की आयु संरचना समय के साथ अधिक वरिष्ठ होती गई है।

18वीं लोकसभा में युवा एवं वरिष्ठ सांसदों की स्थिति

श्रेणी	संख्या
35 वर्ष से कम सांसद	25
66 वर्ष से अधिक सांसद	105
कुल सांसद	543

विश्लेषण: 18वीं लोकसभा में 35 वर्ष से कम आयु के केवल 25 सांसद हैं, जबकि 66 वर्ष से अधिक आयु के सांसदों की संख्या 105 है। यह अंतर संसद में आयुवर्गीय असंतुलन को दर्शाता है।

18वीं लोकसभा में युवा सांसदों की स्थिति

विवरण	संख्या
25 वर्ष आयु के सांसद	3
40 वर्ष या उससे कम आयु के सांसद	लगभग 58
कुल सांसद	543

विश्लेषण: 18वीं लोकसभा में 25 वर्ष आयु के तीन सांसद निर्वाचित हुए हैं। यद्यपि यह युवा भागीदारी का सकारात्मक संकेत है, फिर भी कुल सांसदों की तुलना में युवा प्रतिनिधित्व सीमित बना हुआ है।

युवा प्रतिनिधित्व की प्रमुख चुनौतियाँ

उपलब्ध अध्ययनों एवं संसदीय आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि संसद में युवाओं के कम प्रतिनिधित्व के पीछे अनेक कारण हैं। राजनीतिक दलों द्वारा अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना, चुनावी राजनीति का बढ़ता आर्थिक व्यय, राजनीतिक अनुभव की अपेक्षा तथा वंशवादी राजनीति प्रमुख चुनौतियाँ हैं। अनेक योग्य एवं शिक्षित युवा राजनीतिक प्रक्रिया में रुचि रखने के बावजूद संसाधनों एवं अवसरों के अभाव में संसद तक नहीं पहुँच पाते।

राजनीतिक दलों की भूमिका

संसदीय प्रतिनिधित्व का स्वरूप काफी हद तक राजनीतिक दलों की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। यदि राजनीतिक दल युवाओं को अधिक अवसर प्रदान करें तो संसद में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। वर्तमान स्थिति से स्पष्ट है कि अधिकांश दलों में वरिष्ठ नेतृत्व का प्रभाव अभी भी प्रमुख बना हुआ है।

युवा प्रतिनिधित्व की संभावनाएँ

भारत में युवा जनसंख्या का अनुपात अत्यधिक है तथा युवा मतदाताओं की संख्या लगातार

बढ़ रही है। राष्ट्रीय युवा नीति, युवा संसद कार्यक्रम, डिजिटल राजनीतिक जागरूकता तथा बढ़ती शैक्षणिक उपलब्धियों ने युवाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। भविष्य में राजनीतिक दलों द्वारा युवाओं को अधिक अवसर दिए जाने पर संसद में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ने की संभावना है।

समग्र विश्लेषण

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत की विशाल युवा जनसंख्या की तुलना में संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। प्रथम लोकसभा की तुलना में वर्तमान लोकसभा में युवा सांसदों की संख्या एवं अनुपात दोनों में कमी देखी गई है। यद्यपि कुछ युवा सांसद संसद तक पहुँचे हैं, फिर भी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को अधिक समावेशी बनाने के लिए युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। संसद में युवा नेतृत्व की उपस्थिति न केवल युवाओं की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करेगी, बल्कि लोकतांत्रिक शासन को अधिक गतिशील एवं भविष्य उन्मुख भी बनाएगी।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में भारतीय संसद, विशेषकर लोकसभा में युवाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति, प्रवृत्तियों, चुनौतियों एवं संभावनाओं का विश्लेषण किया गया। अध्ययन हेतु विभिन्न संसदीय आँकड़ों, शोध अध्ययनों, सरकारी रिपोर्टों तथा प्रकाशित साहित्य का उपयोग किया गया।

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि भारत विश्व के सर्वाधिक युवा देशों में से एक होने के बावजूद भारतीय संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत सीमित है। लोकसभा के आयुवर्गीय विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि युवा सांसदों की संख्या कुल सांसदों की तुलना में कम है तथा संसद में वरिष्ठ आयु वर्ग के सांसदों का प्रभुत्व अधिक है। प्रथम लोकसभा और वर्तमान लोकसभा के तुलनात्मक अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि समय के साथ संसद में युवा प्रतिनिधित्व का अनुपात घटा है।

अध्ययन में यह पाया गया कि संसद में युवाओं के सीमित प्रतिनिधित्व के पीछे अनेक संरचनात्मक एवं राजनीतिक कारण उत्तरदायी हैं। राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार चयन में वरिष्ठ एवं अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता देना, चुनावी राजनीति का बढ़ता आर्थिक व्यय, राजनीतिक अनुभव की अपेक्षा तथा राजनीतिक अवसरों की असमान उपलब्धता प्रमुख कारणों के रूप में सामने आए। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना भी युवा नेतृत्व के विकास में बाधा उत्पन्न करती है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि युवाओं की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता, शिक्षा का विस्तार, डिजिटल संचार के साधनों का विकास तथा युवा मतदाताओं की बढ़ती संख्या भविष्य में संसद में उनके प्रतिनिधित्व की संभावनाओं को सुदृढ़ करती है। राष्ट्रीय युवा नीति, युवा संसद कार्यक्रम तथा लोकतांत्रिक सहभागिता से संबंधित विभिन्न पहलें भी युवाओं को राजनीति की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधिक, समावेशी एवं उत्तरदायी बनाने के लिए संसद में युवाओं की भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व को बढ़ाना आवश्यक है। संसद में युवाओं की प्रभावी उपस्थिति न केवल उनकी समस्याओं एवं आकांक्षाओं को नीति निर्माण की प्रक्रिया में स्थान प्रदान करेगी, बल्कि लोकतांत्रिक शासन को अधिक गतिशील एवं भविष्य उन्मुख बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

सुझाव

1. राजनीतिक दलों को उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में युवाओं को अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए।
2. संसद एवं विधानमंडलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु विशेष प्रोत्साहनात्मक नीतियाँ विकसित की जानी चाहिए।
3. युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रमों एवं राजनीतिक प्रशिक्षण गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

4. चुनावी राजनीति में आर्थिक बाधाओं को कम करने हेतु आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए ताकि सामान्य पृष्ठभूमि के युवा भी राजनीति में प्रवेश कर सकें।
5. विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में लोकतांत्रिक नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता से संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
6. युवा संसद, छात्र संसद तथा नेतृत्व विकास मंचों का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि युवाओं में राजनीतिक जागरूकता एवं नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके।
7. राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना में लोकतांत्रिक सुधार कर युवा नेतृत्व को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में अधिक स्थान दिया जाना चाहिए।
8. संसद एवं अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं में आयुवर्गीय संतुलन स्थापित करने की दिशा में दीर्घकालिक प्रयास किए जाने चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Basu, D. D. (2023). Introduction to the Constitution of India. New Delhi: LexisNexis.
2. Kashyap, Subhash C. (2022). Our Parliament. New Delhi: National Book Trust.
3. Fadia, B. L. (2021). Indian Government and Politics. Agra: Sahitya Bhawan.
4. Heywood, Andrew (2021). Politics. London: Red Globe Press.
5. Johari, J. C. (2020). Indian Political System. New Delhi: Anmol Publications.
6. Lok Sabha Secretariat. Statistical Handbook of Lok Sabha (विभिन्न संस्करण)।
7. Election Commission of India. Statistical Reports on General Elections to Lok Sabha (विभिन्न वर्ष)।
8. Inter-Parliamentary Union (IPU). Youth Participation in National Parliaments Report 2025।
9. Patel, R. & Thiruppathi, S. (2025). "Youth Representation in the Indian Parliament: Challenges and Opportunities."
10. Ghosh, A. (2026). "Youth Participation in India's Legislative Politics."
11. Ministry of Youth Affairs and Sports. National Youth Policy Documents।
12. PRS Legislative Research. Profile of the 18th Lok Sabha।
13. Association for Democratic Reforms (ADR). Analysis of MPs in 18th Lok Sabha।
14. United Nations Development Programme (UNDP). Youth and Democratic Governance Reports।
15. Inter-Parliamentary Union. Global Parliamentary Report on Youth Representation।